दिनांक 18.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–सैकड़ों अपात्र व्यक्तियों का कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 02 अभियुक्त प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांकः 17–06–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सैकड़ों अपात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 02 अभियुक्तों को नवाबगंज प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अमित पाण्डेय पुत्र शिवविशाल पाण्डेय निवासी सेराना पाण्डेय का पुरवा थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज। शिक्षा– एम0ए0, उम्र 28 वर्ष। (मास्टरमाइंड)

2– बृजभुवन पटेल पुत्र रामसुफल पटेल निवासी पसियापुर थाना सौरांव जनपद प्रयागराज। शिक्षा–इंटरमीडिएट, उम्र 48 वर्ष।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 84 अदद फर्जी व कूटरचित आयुष्मान कार्ड।

3– 112 वर्क कूटरचित आयुष्मान कार्ड से सम्बन्धित डेटा।

4– 284 वर्क फर्जी व कूटरचित आयुष्मान कार्ड से सम्बन्धित व्हाट्सएप चैटिंग के स्कीनाशट

5– 01 अदद एटीएम कार्ड।

6– 01 अदद पैन कार्ड।

7– 01 अदद आधार कार्ड।

8– 01 अदद आईडी कार्ड प्रार्ची हास्पिटल प्रयागराज।

9– रूपये 690 नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– स्थानः नवाबगंज बाइपास ब्रिज के नीचे थाना क्षेत्र नवाबगंज प्रयागराज, दिनांकः 17–06–2025 समयः 19:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों का कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि जनपद प्रयागराज में कुछ व्यक्तियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों के नाम से आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर विष्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 17–06–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 02 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र नवाबगंज प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित पाण्डेय ने पूछताछ में बताया कि मैने वर्ष 2020–21 में **D.I.A.S.** (Digital India Aatma Nirbhar Scheme) द्वारा **C.S.C.**(जनसेवा केन्द्र) का लाइसेन्स आनलाइन अप्लाई कर प्राप्त किया था। सी0एस0सी0 पर ही मुझे आयुष्मान कार्ड बनाने की आईडी प्राप्त हुई थी। मैने 2021–22 मे अपनी आईडी से पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये। वर्ष–2022 मे मेरी सी0एस0सी0 आईडी बंद हो गयी। इसके बाद मै लोगों के आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से बेनीफिषरी के माध्यम से बनाता था। वर्ष–2024 मे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मै सुनित मंडल पटना बिहार से जुड गया। सुनित ने बताया कि अगर तुमको किसी अपात्र व्यक्ति का आवष्यकतानुसार आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, तो मै उसका कार्ड बना सकता हॅू इसके एवज में मै तुमसे रू 3500–5000 लूंगा। मैंने अपने मामा के दोस्त संदीप पाण्डेय, बृजभुवन पटेल आदि के माध्यम से आयुष्मान कार्ड से जुडे हास्पिटल के कुछ लोगों से सम्पर्क किया। मैने उनसे कहा कि जो अपात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं उन व्यक्तियों से प्रत्येक कार्ड का रू 12000–15000 लेकर हमको उपलब्ध कराओ, उनका आयुष्मान कार्ड बन जायेगा। इसी क्रम में प्रदेष के विभिन्न जनपदों से लोग मुझसे सम्पर्क कर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर अपात्र लोगों के कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनवाने लगे। जिन अपात्र

लोगो के कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाना होता है उनके आधार कार्ड, फैमिली आईडी व जिले का नाम मैं सुनित मंडल को व्हटसएप कर देता हूँ। सुनित मण्डल उसको दूसरे की फैमिली में एड करके उसका आयुष्मान कार्ड तैयार करता है। जिसका आयुष्मान कार्ड बनना होता है उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आती है, उस ओटीपी को मै सूमित मण्डल को बता देता हूँ। दूसरी ओटीपी फैमिली के मुखिया के मोबाइल नम्बर पर जाती है। दूसरी ओटीपी सुनित कैसे प्राप्त करता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सुनित मंडल द्वारा एक से दो दिन के अन्दर कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाकर मुझे भेज दिया जाता है। कुछ आयुष्मान कार्ड मै खुद भी डाउनलोड कर लेता हूँ। कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनवाने के एवज मे मै सुनित मंडल को प्रत्येक कार्ड के हिसाब से रू 3500–5000 यूपीआई के माध्यम से देता हूँ। मैने अब तक सुनित मंडल के माध्यम से लगभग 200 फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाये है।

अभियुक्त बृजभुवन ने पूछताछ में बताया कि अमित पाण्डेय के कहने पर हम लोग कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अपात्र व्यक्तियों के आधार कार्ड एवं प्रति व्यक्ति रू 12000/– लेते हैं, जिसके एवज में अमित हम लोगों को कमीषन के रूप में रूपये देता है। एक दो दिन बाद सुनित मंडल अपात्र व्यक्तियों के कूटरचित आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा देता है। जिनका प्रयोग कर अपात्र लोगो का इस योजना के तहत इलाज कराया जाता है। इस प्रकार हम लोग अभी तक भारी मात्रा में अपात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनवाकर उनसे अवैध धन अर्जित कर चुके है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गिरोह द्वारा पिछले दो वर्षों में लगभग 200 कूटरचित आयुष्मान कार्ड अनाधिकृत तरीके से बनवाये गये है। कूटरचित आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपात्र लोगो द्वारा इलाज कराकर सरकार के राजस्व को क्षति पहुचायी गयी है। अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरोह के विरूद्ध थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज में मु0अ0स0 279/2025 धारा– 3(5), 61(2), 318, 319, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 66सी, 66डी आईटीएक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–रणदीप भाटी गैग का सकिय सदस्य एवं थाना नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर का एच0एस0 सोनू मोमनाथन सहित 02 गिरफ्तार।

दिनांक 17–06–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को रणदीप भाटी गैग के सक्रिय सदस्य एवं हरियाणा के हिमान्शु उर्फ भाउ गैग से जुडे सदस्य एवं थाना नालेज पार्क के हिस्ट्रीशीटर सोनू मोमनाथन सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1:– सोनू पुत्र संजय निवासी ग्राम मोमनाथन थाना नालेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर। (एच0एस0 नं0 07 बी)

2:– विरेन्द्र पोसवाल पुत्र रघुबर पोसवाल निवासी ग्राम कपसई थाना नरसैना जनपद बुलनदषहर।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान–

दिनाक 17–06–2005, एसटीएफ कार्यालय, गौतमबुद्धनगर, समयः लगभग 23.15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें रणदीप भाटी गैंग के सदस्यों द्वारा डरा धमकाकर जमीनों एवं दुकानो पर कब्जा करना एवं जमीन छोड़ने की एवज में पैसे की मांग करने आदि आरोप अंकित किये थे। उक्त प्रकरण की जॉच श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, फील्ड यूनिट, नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार द्वारा की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि पत्र में अंकित आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाये गये। जिस पर सोनू पुत्र संजय निवासी ग्राम मोमनाथन थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर एवं विरेन्द्र पोसवाल पुत्र रघबर पोसवाल निवासी कपसई थाना नरसैना बुलन्दषहर को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 यूनिट, गौतमबुद्धनगर लाया गया। पूछताछ एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने पर दोनो व्यक्तियो को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त सोनू मोमनाथन ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 30 साल है। उसका भाई भूपेन्द्र, रणदीप भाटी का सगा बहनोई है। सोनू का पिता संजय मोमनाथन पूर्व में खनन माफिया रहा है। सोनू एवं उसका बडा भाई भूपेन्द्र (जो थाना

नालेज पार्क का एच0एस0 है जिसका एच0एस0 नं0 02बी है) अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो हत्या, रंगदारी एवं खनन आदि के कई घटनाओं में शामिल रहा है। दिनांक 14–01–2019 की रात्रि में कस्बा दादरी से अभियुक्तों द्वारा धर्मेन्द्र उर्फ धर्मी का अपहरण कर हत्या करके रूपवास गोल चक्कर के पास फेक दिया गया था। इस सनसनीखेज घटना के सम्बन्ध में थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में पुलिस द्वारा सोनू मोमनाथन एवं इसके भाई भूपेन्द्र मोमनाथन को जेल भेजा गया था। अभियुक्त सोनू दूसरी बार थाना नालेज पार्क से जेल गया था। इसके बाद अभियुक्त सोनू तीसरी बार थाना सेक्टर–142 गौतमबुद्धनगर से जेल गया था।

विरेन्द्र पोसवाल ने पूछताछ पर बताया कि वह पूर्व में ग्रेटर नोएडा में ठेकेदारी का काम करता था तथा संजय मोमनाथन के संपर्क में रहकर अवैध खनन का रेत सप्लाई करता था। वर्ष–2022 में इसकी दो पुत्रियों की शादी रणदीप भाटी के भतीजों से हुई। जिसके पश्चात से ही विरेन्द्र पोसवाल इस गैग के सदस्यों के साथ जुड गया तथा भूपेन्द्र एंव सोनू के साथ मिलकर खाली पडे प्लाट/दुकानों पर कब्जा करके उनके वास्तविक स्वामियों से रंगदारी मांगने एवं विवादित जमीनों में हस्तक्षेप कर वसूली करने लगा।

पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाष मे आया है कि अभियुक्त सोनू एवं इसके भाई भूपेन्द्र ने रणदीप भाटी के रिश्तेदार वीरेन्द्र पोसवाल के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर मोमनाथन ग्राम में दुकानों का ताला तोडकर कब्जा कर लिया गया था तथा कब्जा छोड़ने की एवज में 10 लाख रूपये की मांग की गयी थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 30–12–2019 को गैगेस्टर एक्ट की धारा के अन्तर्गत थाना दादरी से अभियुक्त रणदीप भाटी, सोनू मोमनाथन, भूपेन्द्र मोमनाथन सहित 40 अभियुंक्तों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा इस गैगस्टर एक्ट के अभियोग में ग्राम मोमनाथन में गैगस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति कुर्क की गयी थी किन्तु इस कुर्क शुदा सम्पत्ति को अभियुक्त सोनू एवं भूपेन्द्र आदि द्वारा सील हटाकर भरतपुर राजस्थान निवासी मोहन नाथ एवं ज्ञानी को फैक्टरी के लिए 70–70 हजार रूपये में किराये पर दे दिया गया था। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा कब्जे में ली गयी सम्पत्ति को अभियुक्त सोनू एंव भूपेन्द्र आदि द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लेकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाष में आया है कि दिनांक 23–08–2023 को थाना बेरी जनपद झज्जर हरियाणा क्षेत्र के अन्तर्गत एनसीआर

के कुख्यात अपराधी हिमांषु उर्फ भाउ गैग के शार्प शूटर द्वारा विपक्षी गैग के सन्नी निवासी रिटोली को मारने हेतु अंधाधुन्ध फायरिंग की गयी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी तथा इस क्रॉस फायरिंग में सन्नी रिटोली व अन्य लोग घायल हो गये थे। इस घटना में राहुल उर्फ हुली बेरी थाना बेरी झज्जर को गोली लगी थी जिसको अभियुक्त सोनू मोमनाथन ने अपने फार्म हाउस पर शरण देकर राहुल उर्फ हुली बेरी का ईलाज कराया था। उस समय राहुल उर्फ हुली हरियाणा एवं दिल्ली राज्य का वांछित एवं ईनामी अपराधी था। राहुल उर्फ हुली को लाट गोहाना निवासी नन्हा एवं सूरज द्वारा सोनू मोमनाथन से जोड़ा गया था। हिमान्षु उर्फ भाउ, नीरज बवाना गैग का नजदीकी रहा है।

<u>अभियुक्त सोनू मोमनाथ उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	20／2019	120बी, 147, 148, 149, 302, 323, 364, 504, 506 भादवि	दादरी	गौतमबुद्धनगर
2	50／2019	147, 148, 149, 186, 188, 332, 353	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर
3	674／2019	353ए 504ए 506 भादवि	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर
4	992／2019	2／3 गैगस्टर एक्ट	नालेज पार्क	
5	1405／2019	120.ठए 147ए 148ए 149ए 302ए 323ए 364ए 504ए 506 भादवि	दादरी	गौतमबुद्धनगर
6	355／2020	379／411 भादवि एवं 21／4 खनन अधि0 एवं 3／25 शस्त्र अधि0	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर
7	178／2023	147, 323, 325, 504, 506 भादवि	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर
8	205／2024	115(2), 308(3), 324(4), 329(1), 333, 351(2), 352 बीएनएस	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर
9	209／2024	120-B, 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि	फेस–3	गौतमबुद्धनगर
10	11／2025	109, 115(2), 125, 3(5), 324(4), 324(5), 351(2), 351(3), 352 बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट	सेक्टर–142	गौतमबुद्धनगर
11	92／2025	115(2), 191(2), 351(2), 352 बीएनएस	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर
12	132／2025	318(4), 308(5), 223, 351(3), 223, 329(3) बीएनएस	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू एवं विरेन्द्र पोसवाल के विरूद्ध थाना नालेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0 132／25 धारा 318(4), 308(5), 223, 351(3), 223, 329(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.06.2025 को थाना बिलग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सरोज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सांडी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरोज निवासी ग्राम नेकवापुर हातिमपुर थाना सांडी जनपद हरदोई।

जनपद बरेली/थाना देवरनियाँ

• पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 40 हजार रूपये नगद

• लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन, बैटरा

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 18.06.2025 को थाना देवरनियाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा नहर की पुलिया ग्राम बसन्तनगर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दानिश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नाजिम 3–परवेज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 हजार

रूपये नगद, लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन, बैटरा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना देवरनियाँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवरनियाँ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना देवरनियाँ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दानिश निवासी ग्राम नवादा थाना देवरनियाँ जनपद बरेली।

2–नाजिम निवासी ग्राम नवादा थाना देवरनियाँ जनपद बरेली।

3–परवेज निवासी ग्राम नवादा थाना देवरनियाँ जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

2–लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, मोबाइल फोन, बैटरा।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट कानपुर/थाना किदवई नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 19 लाख 15 हजार रूपये नगद**
- **01 पीली धातु के चैन**
- **01 एटीएम कार्ड, 01 एटीएम/सीआरएम मशीन की चाबी**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 18.06.2025 को थाना किदवई नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आयुर्वेदिक पार्क से 03 अभियुक्तों 1–विपिन उर्फ लल्ला 2–सुधांशु उर्फ अमन 3–दीपक

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 19 लाख 15 हजार रूपये नगद, 01 पीली धातु के चैन, 01 एटीएम कार्ड, 01 एटीएम/सीआरएम मशीन की चाबी, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो एटीएम मशीन के सीआरएम मशीन के पैनल से विभिन्न खाता नम्बर या एटीएम कार्ड का उपयोग कर सीआरएम मशीन में पैसा जमा करते समय, पैसे के बॉक्स/वॉल्ट में जाने से पहले मशीन आफ कर चैम्बर खोल कर पैसे निकाल कर चोरी/धोखाधड़ी की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना किदवई नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विपिन उर्फ लल्ला निवासी देवकीनगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2—सुधांशु उर्फ अमन निवासी सीओडी कॉलोनी कोयला नगर थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3—दीपक निवासी मकसूदाबाद उत्तरी भाग थाना बिठूर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी/धोखाधड़ी के 19 लाख 15 हजार रूपये नगद।

2—01 पीली धातु के चैन।

3—01 एटीएम कार्ड, 01 एटीएम/सीआरएम मशीन की चाबी।

4—घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली जालौन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 53 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.06.2025 को थाना कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डी0डी0 मेमोरियल स्कूल के पास से अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ बर्री को गिरफ्तार कर

चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 53 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.02.2025 को थाना कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जालौन, औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राघवेन्द्र उर्फ बर्री निवासी ग्राम जरहौलिया थाना व जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 53 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमहट चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—शुभम कुमार 2—महान दूबे 3—सचिन 4—आयुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शुभम कुमार निवासी जलालुद्दीन नगर पूरा बाजार थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

2—महान दूबे निवासी करदासपुर थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।

3—सचिन निवासी तिवारीपुर प्रताबीपुर थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

4—आयुष निवासी कपासी थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

- **जनपद आजमगढ़/थाना गम्भीरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—गुरूप्रसाद उर्फ बेचू 2—चन्दन को धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3—कृष्णा को धारा 302/149/352/147/148/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 24 हजार 250 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्तगण 4—कौशल किशोर 5—अभिषेक उर्फ बच्चा 6—चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू 7—राजेन्द्र 8—दीपक उर्फ उपेन्द्र को धारा 302/149/352/147/148/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 14 हजार 250 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना सासनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सासनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————